न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–304/2025/223 आर.टी.एक्ट (2025/304)

1. श्रीमती उमराव देवी पत्नी सुरेशचंद जाति महाजन निवासी भीम तहसील भीम जिला राजसमंद राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1. अजयपाल सिंह पुत्र केसर सिंह जाति रावत निवासी ग्राम धर्मशपुरी तहसील भीम जिला राजसमंद।
2. श्रीमती कैलाशदेवी पत्नी भंवर सिंह जाति रावत निवासी निचली गुडली खुमाखेडा तहसील देवगढ जिला राजसमंद।
3. श्रीमती गीता देवी पत्नी नन्दकिशोर सिंह जाति रावत निवासी कोटकिराणा।
4. जैठसिंह पुत्र हिम्मतसिंह जाति रावत निवासी गोधाजी का गांव तहसील भीम जिला राजसमंद।
5. नरेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह
6. सुखदेव सिंह पुत्र मानसिंह
7. प्रताप सिंह पुत्र खीमसिंह
8. मु0 चुन्नी पत्नी खीमसिंह
9. लक्ष्मी देवी पुत्री खीमसिंह
10. सोनी पुत्री खीमसिंह
    समस्त जाति रावत निवासी बालाचाराट तहसील टाडगढ जिला ब्यावर।
11. निर्मला देवी पत्नी लखपतराय जाति सिंधी निवासी भीम जिला राजसमंद।
12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, ब्यावर
13. राजस्थान सरकार जरिए भू धारक जिला कलक्टर, ब्यावर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टाडगढ जिला ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.01.2025 राजस्व वाद संख्या 10/2023.

उपस्थितः–

1. श्री अभिषेक शर्मा, अखिलेश शर्मा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विजयसिंह रावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 12, 13
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 11 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–01.10.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टाडगढ जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 10/2023 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/हाल प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 1

व 4 द्वारा जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर वादपत्र के कथनों का इंकारी जवाब प्रस्तुत किया तथा हाल अपीलार्थीया/प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं के द्वारा क्रय किए गए हिस्से के बाबत उदघोषणा का भी निवेदन किया जिसके आधार पर 5 तनकियात कायम की तथा प्रतिवादी संख्या 1/हाल अपीलार्थीया के अधिवक्ता के दिनांक 03.01.2025 को अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में अपने निर्णय दिनांक 03.01.2025 के द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टाडगढ जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 10/2023 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2 से 11 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था तथा अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीया को प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है कहते हुए आश्वस्त किया था एवं यह कि आश्वासन दिया कि जब भी प्रकरण में आवश्यकता होगी तो प्रार्थीया को सूचित कर दिया जायेगा, जिस कारण प्रार्थीया अपने प्रकरण की पैरवी हेतु स्वयं न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई एवं अधिवक्ता की गलती के कारण प्रकरण में दिनांक 03.01. 2025 को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। प्रार्थीया ने जब अपनी क्रयशुदा भूमि के बाबत राजस्व रेकार्ड की प्रतियां प्राप्त की तो उसकी जानकारी में आया कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री 03.01.2025 को पारित की जा चुकी है जिसके पश्चात प्रार्थीया ने अपने प्रकरण की जानकारी हेतु प्रार्थीया द्वारा दिनांक 18.06.2025 को अपने अधिवक्ता से स्वयं जाकर मिलकर अपने प्रकरण की जानकारी ली तो अधिवक्ता ने बताया कि कि आपके प्रकरण में निर्णय हो चुका है जिसके पश्चात प्रार्थीया के द्वारा तुरंत उक्त निर्णय की प्रति प्राप्त करने हेतु उसी दिन नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल निर्णय प्राप्त की तथा अन्य दस्तावेजों की नकले भी प्राप्त की उसके पश्चात आवश्यक फीस खर्चे का इनतजाम कर अपने अधिवक्ता की सलाह के अनुसार यह अपील बिना किसी अतिरिक्त विलम्ब के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। इसलिये अपील जानकारी से अन्दर म्याद प्रस्तुत है, ऐसी स्थिति में अपील को अन्दर मियाद माना जाना न्यायोचित है। जहां प्रकरण गुणावगुण पर अच्छा हो वहां तकनीकी आधार पर प्रकरण को खारिज नहीं किया जाना चाहिए तथा प्रकरण को गुणावगुण पर सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णित करना चाहिए। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थना—पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित कथन गलत, मिथ्या एवं कानूनन् के प्रावधानों एवं सिद्धान्तों के विपरीत होने से अस्वीकार है, साथ ही यह भी अस्वीकार है कि उक्त प्रकरण की जानकारी प्रार्थी को नहीं रही हों, कारण कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 3.01.2025 को प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने के पश्चात् प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार, टॉटगढ़ द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/2025/63 दिनांकित 27.01.2025 को मौके पर पक्षकारान् के भौतिक हक हिस्सेनुसार एवं कब्जे काश्त के आधार पर बंटवारा प्रस्ताव माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, कि जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने के पश्चात् उक्त निर्णय एवं डिक्री की अनुपालनार्थ प्रकरण में संयोजित समस्त खातेदारान् के विधिक हक—हिस्से अनुसार मौके पर भौतिक कब्जे

काश्त अनुसार जरिये नामान्तरकरण सं0 763 दिनांक 3.06.2025 को स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अलग–अलग खाता कायम किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीया/अपीलांट द्वारा इस मद में गलत एवं मनगढ़त कथनों को आधार बनाकर करीबन 4–4(1/2) माह विलम्ब से मियाद बाहर एवं मिथ्या–रूपेण कथनों का उल्लेख कर माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना–पत्र मय अपील समक्ष प्रस्तुत की गई है जो कि कानूनन् मियाद बाहर होने से माननीय न्यायालय के समक्ष चलने योग्य नहीं होकर मियाद बिन्दू पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना–पत्र की चरण सं० 3 में वर्णित कथन प्रस्तुत रूप से गलत, मिथ्या एवं बनावटी होने से अस्वीकार होने से प्रार्थीया का प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय अपील कानूनन् मियाद बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की चरण सं० 2 एवं 3 में उल्लेखित कथनों के आधार पर उसके अधिवक्ता की गलती के कारण प्रकरण में दिनांक 3.01.2025 को एक–पक्षीय कार्यवाही होना कथन किया है, तथा इस मद सं० 3 में राजस्व रिकार्ड की प्रतियां प्राप्त करने पर उक्त प्रकरण के संदर्भ में प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री दिनांक 14.02.2025 की जानकारी होना तत्–पश्चात् अपने अधिवक्ता से दिनांक 18.06.2025 को सम्पर्क करने पर उक्त प्रकरण की जानकारी लेने पर निर्णय हो जाने के संदर्भ में मिथ्या–पूर्वक कथन कर उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि प्रार्थीया एवं उसके परिवारजन् को उक्त प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी होने के पश्चात् हल्का पटवारी मय तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव (मौका पर्चा) दिनांक 15.01.2025 को मौके पर तैयार करते समय प्रार्थी/अपीलांट को उक्त प्रकरण के संदर्भ में न्यायिक बंटवारा की जानकारी हो जाने के बावजूद भी उक्त प्रार्थना पत्र में गलत एवं मिथ्या कथनों को आधार बनाकर अपने अधिवक्ता की गलती के कारण प्रकरण में दिनांक 3.01.2025 को एक–पक्षीय कार्यवाही होने के संदर्भ में उक्त अधिवक्ता का कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, कि जिससे स्वतः ही स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा जानबूझकर उक्त प्रकरण में ना तो स्वयं उपस्थित हुई तथा अधिवक्ता की अनुपस्थिति होने का गलत एवं मिथ्या–रूपेण कथनों को आधार बनाकर उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष करीबन 4–4(1/2) माह यानि 130 दिवस के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जो कि कानूनन् चलने योग्य नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतर न्यायालयों ने अपने कई न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यथासंभव प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि जब वाद पत्र में काउण्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया था तो उस बाबत भी तनकीयात विचरित किया जाना आवश्यक था परंतु हाल अपीलार्थीया/प्रतिवादी संख्या 1 के काउण्टर

क्लेम के बाबत किसी प्रकार की कोई तनकी उसके हिस्से की उद्घोषणा बाबत विचरित नहीं की गयी जबकि आदेश 14 नियम 1 जा०दी० में तनकियात विचरित किये जाने के प्रावधान दिये गये है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को उक्त बिंदु पर भी तनकी विचरित की जानी चाहिए थी इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.01.2025 काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्रत्यर्थी/वादी द्वारा धारा 53, 88 व 188 का वाद प्रस्तुत कर सभी खातेदारों में विधिवत बंटवारा कर खाते अलग कायम किये जाने का अनुतोष चाहा है तो ऐसे में सभी खातेदारों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात ही विधिवत तनकी निर्माण कर निर्णय पारित किया जाना आज्ञापका है किंतु प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 03.01.2025 को अपीलार्थीया/प्रतिवादी सं० 1 के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित किया है जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत एकतरफा व विधि विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वूपर्ण तथ्य पर गौर नहीं किया कि जब दिनांक 03.01.2025 को अपीलार्थीया के अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे तो विधिक प्रावधानों के तहत अपीलार्थीया को सुनवाई किये जाने हेतु पुनः नोटिस दिया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय को अधिवक्ता की गलती का भुगतान पक्षकार को नहीं दिया जाना चाहिए था प्रस्तुत प्रकरण में अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रतिवादी सं० 1/अपीलार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अधिवक्ता की गलती का खामियाजा पक्षकार को नहीं दिया जा सकता है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिवत निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है। इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.01.2025 काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण विधिक स्थिति पर गौर नहीं किया कि प्रत्यर्थी ने जो उज्र अपने जवाब प्रार्थना पत्र में उठाये गये है वह सभी उज्र तथ्यात्मक है जिनका विनिश्चय तनकी विचरित करने के पश्चात तथा उभयपक्षों की साक्ष्य लिये जाने के पश्चात गुणावगुण पर ही किया जा सकेगा। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कही पर भी अपीलार्थीया द्वारा अपने जवाब में उठाये गये तथ्यों व कथनों का अंकन नहीं किया केवलमात्र वादी के वाद के आधार पर सम्पूर्ण वाद में निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.01.2025 जारी कर दी। इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.01.2025 काबिल निरस्तनीय है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टाडगढ जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 10/2023 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि मौजा ग्राम बालाचाराट पटवार हल्का पालड़ी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेड़ाकला तहसील टॉडगढ़ में खसरा नंबर 1094 रकबा 0.9384 हे0 किस्म बीड़, खसरा नंबर 1097 रकबा 0.0161 हें० किस्म बारानी 03. खसरा नंबर 1087/2 रकबा 0.0384 हें0 किस्म बीड़, खसरा नंबर 1098/2 रकबा 0.0072 हे० बारानी 03, खसरा नंबर 1096/2 रकबा 0.6528 हें० किस्म बीड, खसरा नंबर 1088 रकबा 0.2669 हें० किस्म बीड़, खसरा नंबर 1102/2 रकबा 0.1812 है। किस्म बारानी 3. खसरा नंबर 1100/2 रकबा 0.0072 हें० किस्म बारानी 3. खसरा नंबर 1103/2 रकबा 0.1262 हें० किस्म बारानी 3. खसरा नंबर 1104/2 रकबा 0.1496 हें0 किस्म बारानी 03 की भूमि स्थित है। उक्त आराजी भूमि में वादीगण का व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 11 तक का राजस्व रिकार्ड के अनुसार हिस्सा निहित चला आ रहा है। वादीगण की उक्त आराजी भूमि खरीदशुदा भूमि है। वादी और प्रतिवादीगण की सयुंक्त खातेदारी भूमि है। वादग्रस्त भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हो रखा है। वादीगण व

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 के बीच आये अपने–अपने हिस्से को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहता है। वादीगण दिनांक 05.04.2023 को देखरेख कर रहा था तक प्रतिवादीगण आये और वादी के कब्जा काश्त में दखलअदांजी करने लगे। तथा गाली–गलौच करने लगे व धमकी देने लगे कि तुमने यह जमीन क्यो खरीदी। वादीगण ने वादग्रस्त भूमियों को विधिवत बंटवारा करवाने हेतू निवेदन भी किया गया। किन्तु प्रतिवादीगण ने बंटवारा करने से साफ इन्कार कर दिया और कहा कि वादग्रस्त भूमि को अन्यत्र बेचान करने के लिये धमकिया दी। इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई है, अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत 2021 आरबीजे पेज 226, 2023 आरबीजे पेज 428, 2017 डीएनजे एस0सी0 पेज 462, 2020 आरबीजे पेज 268 राज0 हाई0 कोर्ट प्रस्तुत किए हैं।

9. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायायल द्वारा नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी का सम्मन/नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 5, 7 को नोटिस विधिवत रूप से तामिल होने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित होने के कारण दिनांक 27.10.2023 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात दिनांक 05.01.2024 प्रतिवादी संख्या 01 वर्तमान अपीलांट व प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए। दिनांक 08.11.2024 को प्रतिवादी संख्या 01/अपीलांट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। तत्पश्चात पत्रावली तलबी हेतु नियत रहीं तथा दिनांक 06.12.2024 को तहसीलदार टॉटगढ से जवाब दावा प्राप्त होने पर दिनांक 03.01.2025 की पेशी नियत की गई। दिनांक 03.01.2025 को वादी के अभिभाषक उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी के अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाब दावें के आधार पर 5 तनकीयात निर्मित कर पांचों तनकीयातों का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेंजों के आधार पर विश्लेषण करते हुए निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई।

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को नोटिस विधिवत तामिल होने के उपरांत अपीलांट द्वारा उपस्थित होकर अपना अभिभाषक नियुक्त कर वादी के वाद के प्रति प्रार्थना पत्र विशेष उत्तर के आधार पर प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद व प्रति प्रार्थना पत्र के आधार पर 5 तनकीयात कायम की गई। तनकी संख्या 01, 02 को वादी के जिम्मे व तनकी संख्या 03 व 04 प्रतिवादी के जिम्मे व तनकी संख्या 05 अनुतोष के संबंध में मुर्तिब की गई।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने तनकी संख्या 01 व 02 को दस्तावेजी साक्ष्यों से व उपखण्ड अधिकारी द्वारा कब्जे बाबत मंगवाई गई बिन्दुवार जांच रिपोर्ट से बखूबी साबित कर देने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दोनों तनकी वादी के पक्ष में विधिक रूप से निर्णित की गई। तनकी संख्या 03 जो कि जिम्मे प्रतिवादी/अपीलांट थी जिसे अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 01 अधीनस्थ न्यायालय में साबित नहीं कर पाये। उक्त तनकी वादग्रस्त आराजीयात पर वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कब्जा काश्त नहीं होने से संबंधित थी, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब के पैरा संख्या 4 में स्वयं स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजीयात पर खातेदारान अपने पूर्वजों के समय पर किये गये मौखिक बंटवारें अनुसार काबिज काश्त है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने जवाब में विरोधाभासी कथन करते हुए जवाब विशेष उत्तर के साथ पेश

किया है। क्योंकि एकतरफ अपीलांट वादी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं होना अंकित कर रहे है वहीं दूसरी ओर जवाब के पैरा संख्या 4 में खातेदारान का मौखिक बंटवारें अनुसार काबिज काश्त होना स्वीकार कर रहे है तथा अपीलांट ने अपने जवाब में अपने हिस्से पर ही काबिज काश्त होना स्वीकार किया है। अपीलांट ने अपील मिमों में अधीनस्थ न्यायालय में जवाब के साथ काउंटर क्लेम पेश करना अंकित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का काउंटर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि प्रति प्रार्थना पत्र विशेष उत्तर के साथ प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 03 मुर्तिब की गई थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/अपीलांट तनकी संख्या 03 को साबित नहीं कर पाने से उक्त तनकी विधिक रूप से अपीलांट के विरूद्ध तय की गई। तनकी संख्या 04 जो वाद कारण से संबंधित थी जिसको भी अपीलांट द्वारा सिद्ध करना था किन्तु अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त तनकी को अपने पक्ष में साबित करने बाबत किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं करने के कारण उक्त तनकी भी विधिवत रूप से अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्ध तय की गई है। तनकी संख्या 5 जो कि अनुतोष से संबंधित है। तनकी संख्या 01, 02 वादी के पक्ष में व तनकी संख्या 03 व 04 प्रतिवादी के विरूद्ध तय होने के आधार पर वादी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी करते समय राजस्व रिकार्ड अनुसार किसी भी पक्षकार का हक–हिस्सा कम ज्यादा नहीं किया गया है तथा कब्जे व दावें एवं जवाब दावे को ध्यान में रखते हुए विधिवत रूप से प्राथमिक डिक्री जारी कर कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवायें जाने के आदेश पारित किये है जिसमें किसी भी प्रकार की न्यायिक, विधिक व प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है।

सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 –: *कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणावगुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पडता है न तो उल्टी जाएगी और न उपान्तरित की जाएगी।*

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड टॉटगढ द्वारा प्रकरण संख्या 10/2023 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 01.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर